

### सीमित निविदा/कोटेषन-प्रपत्र आमंत्रण सूचना

संस्थान के पशुधन उत्पाद एवं प्रोदयोगिकी अनुभाग (**LPT**)में स्लाटर/वध किये गये जानवरों जैसे भेड़, मेडा, बकरा एवं बकरी का मांस, अन्य अंग उठाने/निस्तारण करने हेतु वित्तिय वर्ष 2017-18के लिये वार्षिक कार्य अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करने के लिये संबंधित निविदादाताओं/ठेकेदारों से उचित एवं उच्चतम दरों प्रस्तुत करने हेतु बन्द लिफाफे में सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेषन (प्रोफार्म संलग्न)आमन्त्रित किये जाते हैं। अतः संबंधित निविदादाता/ठेकेदार निम्नलिखित नियम एवं धर्तों के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ दिनांक 27.12.2017 तक निर्धारित कोटेषन/सीमित निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्थान द्वारा जारी सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेषन आमंत्रण सूचना की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संस्थान के स्लाटर / वध किये गये जानवरों जैसे (भेड़, मेडा, बकरा एवं बकरी) का मांस तथा अन्य अंग आदि उठाने एवं उससे सम्बन्धित कार्य के निस्तारण के लिए वार्षिक अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करने की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं:

1. सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेषनसंस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। संघर्ष एवं तार द्वारा भेजी गई तथा देरी से प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही, पेन नं० भी अंकित करते हुए उसकी फोटो प्रति संलग्न करना अतिआवश्यक है, इसके बिना सीमित निविदा-प्रपत्र/कोटेषन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. स्लाटर/वध किये गये जानवरों जैसे (भेड़, मेडा, बकरा एवं बकरी) का मांस, अन्य अंग आदि की उचित एवं उच्चतम दरों को ही स्वीकार किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता/ठेकेदार को अनुबंध एक वर्ष के लिये दिया जावेगा। यदि कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो अनुबंध आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. निविदादाता/ठेकेदार को निविदा-प्रपत्र के साथ रु. 5,000/-अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र अमानत राशि बतोरनकद अथवा डिमाउड्राफ्ट/एफ०डी०आर०के माध्यम से इस संस्थान के पक्ष में जो कि **ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar (Malpura)** के नाम **SBI Malpura Branch** के पक्ष में देय हो के रूप में जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा-प्रपत्र स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा-प्रपत्र के साथ जमा कराई गई अमानत राशि सफल निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत कर्ता को जमानत राशी जमा कराने तथा कार्य आदेष जारी करने के बाद ही लौटाई जायेगी। नियमानुसार असफल निविदादाताओं को अमानत राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता/ठेकेदार को कार्यादेष से पूर्व जमानत राशि बतोर रु. 5,000/-अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र डिमाउड्राफ्ट/एफ०डी०आर० के माध्यम से जमा करानी होगी अन्यथा निविदा-प्रपत्र के साथ जमा कराई गई अमानत राशि जब्त करली जायेगी।
5. संस्थान के उक्त अनुबंध कार्य के लिए निविदादाता/ठेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान होने पर अनुबंध को निष्ठित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदादाता/ठेकेदर या उसके प्रतिनिधि को संस्थान के उक्त अनुबंध कार्य से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ गिर्षाचार/मधुर व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेकेदार को समयावधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।
7. जानवरों के वध करने के समय, जानवरों की चमड़ी उतारने का कार्य एवं पेट, आंते धोने का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा।
8. अनुभाग/प्रयोगशाला के द्वारा बेचा गया मांस एवं अन्य सामानतथा निविदादाता/ठेकेदार के पास बचा हुआ कोई भी मांस अन्य अंग इत्यादि सामान प्रयोगशाला/अनुभाग में डिफिन में नहीं रखा जायेगा। निविदादाता/ठेकेदार द्वारा उठाये गये मांस अन्य अंग इत्यादि उसी दिन ले जाना होगा।
9. जानवरों का वध कार्यालय समय में किसी भी समय किया जा सकता है एवं जरूरत होने पर अवकाश के दिन भी किया जा सकता है। जानवरों के संख्या प्रायोगिक वैज्ञानिक के द्वारा एवं अनुभाग के वैज्ञानिक एवं अनुभाग प्रभारी के द्वारा ही तय किया जायेगा।
10. वध किये गये जानवरों का मांस, स्कीन एवं अन्य अंग उसी दिन नगद भुगतान करके उठाना होगा। इस सम्बंध में जानवरों के वध करने की तिथि संबंधित प्रभारी/पशुधन उत्पाद एवं प्रोदयोगिकी अनुभाग से स्वयं निविदादाता/ठेकेदार को ही मालूम करना होगा। सामान/माल समय पर नहीं उठाने पर जो भी नुकसान होगा उसका हर्जाना स्वयं निविदादाता/ठेकेदार को नगद जमा कराना होगा अन्यथा हर्जाने की राशि जमानत राशि में से काट ली जायेगी।
11. निविदादाता/ठेकेदार की ओर से या उनके प्रतिनिधि द्वारा ठेके के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी तथा नुकसान की भरपाई निविदादाता/ठेकेदार को नगद जमा करनी होगी। इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं वह निर्णय निविदादाता/ठेकेदार को मान्य होगा।
12. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि/जमानत राशि का भुगतान अनुबंध की समय अवधि के दौरान अनुबंध कार्य संतोषप्रद तरके से पूर्ण होने के उपरान्त ही लौटाई जायेगी।

P.T.O.Í .



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

16. दरें अंकों व घट्टों दोनों में स्पष्ट रूप से लिख कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दरें आदि में किसी प्रकार की काट-छॉट नहीं होनी चाहिए। यदि दरों में किसी प्रकार की काट-छॉट होती है तो काट-छॉट पर निविदादाता/ठेकेदार को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

| उपरौक्त निर्देशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(नीरज तंवर)  
प्रशासनिक अधिकारी

- प्रति:
1. प्रभारी , प्रधारो अनु० द्वितीय
  2. प्रभारी, वित्त एवं लेखा अनुभाग
  3. प्रभारी, पशुधन उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग को उनके प्रस्ताव पत्रांक एलपीटी/2017/453 दिनांक 25.11.2017 के सर्वंभं में सूचानाथै
  4. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
  5. प्रभारी ए०केऐ८ यूनिट को भेजकर निवेदन है कि संस्थान वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
  6. नगरपालिका मालपुरा, पंचायत समिति मालपुरा, पंचायत समिति चान्दसैन, कृषि उपज मण्डी मालपुरा वृहद्वप्रकाशन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का श्रम करें।
  7. श्रीमान .....

### सीमित निविदा/कोटेष्यन—प्रपत्र

1. सीमित निविदा—प्रपत्र/कोटेष्यन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 27-12-2017 दोपहर बाद 1-00 बजे तक
2. सीमित निविदा—प्रपत्र/कोटेष्यन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 27-12-2017 को दोपहर बाद 3-00 बजे से
3. सीमित निविदा—प्रपत्र/कोटेष्यनकी मात्रा अवधि : 120 दिन
4. अमानत राशि : रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र)

संस्थान में स्लाटर/वध किये गये जानवरों जैसे (भेड़, मेड़ा, बकरा एवं बकरी) का मांस एवं अन्य अंगों को उठाने (निस्तारण करने) के कार्य को अनुबन्ध के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की नियम एवं धर्ते आदि का पूरा विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	सामान का विवरण	जानवरों के नाम	प्रति किग्रा/नग/सेट	दर प्रति किग्रा/नग/सेट ; अंकों एवं छव्वों में
1.*	हड्डी सहित मांस ; तीन वर्ष तक	भेड़, मेड़ा	प्रति किग्रा	
2.*	हड्डी सहित मांस ; तीन वर्ष तक	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
3.	बिना हड्डी मांस ; तीन वर्ष वाले	भेड़, मेड़ा	प्रति किग्रा	
4.	बिना हड्डी मांस ; तीन वर्ष वाले	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
5.	आफल्स ; फैफड़ा, तिल्ली, चर्बी, अंडकोष, गुर्दा इत्यादि	भेड़, मेड़ा	प्रति किग्रा	
6.	आफल्स ; फैफड़ा, तिल्ली, चर्बी, अंडकोष, गुर्दा इत्यादि	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
7.	सिर व खुर ; सभी उम्र वाले	भेड़, मेड़ा	प्रति सेट	
8.	सिर व खुर ; सभी उम्र वाले	बकरा, बकरी	प्रति सेट	
9.	पेट व औंते ; सभी उम्र वाले	भेड़, मेड़ा	प्रति सेट	
10.	पेट व औंते ; सभी उम्र वाले	बकरा, बकरी	प्रति सेट	
11.	बड़ी खाल ऊन सहित ; जिन्दा 20 किग्रा से ऊपर जानवर	भेड़, मेड़ा	प्रति नग	
12	बड़ी खाल ऊन रहित ; जिन्दा 20 किग्रा से ऊपर जानवर	भेड़, मेड़ा	प्रति नग	
13.	छोटी खाल ऊन सहित ; जिन्दा 20 किग्रा से नीचे जानवर	भेड़, मेड़ा	प्रति नग	
14.	छोटी खाल ऊन रहित ; जिन्दा 20 किग्रा से नीचे जानवर	भेड़, मेड़ा	प्रति नग	
15.	बड़ी खाल ; छः माह, छः माह से ऊपर	बकरा, बकरी	प्रति नग	
16	छोटी खाल ; छः माह से नीचे वाले	बकरा, बकरी	प्रति नग	
17.	अगर किसी जानवर का सिर व खुर काटकर या अन्दर के किसी पार्ट को नमूना के लिए निकाला जाता है	भेड़, मेड़ा, बकरा, बकरी	प्रति नग	
18.	अगर अच्छी तरह से हड्डी का मांस, चर्बी हटा दिया जाता है तो हड्डी की कीमत	भेड़, मेड़ा, बकरा, बकरी	प्रति किलो ग्राम	
तीन वर्ष से 5 वर्ष तक के जानवरों का विवरण				
19.	हड्डी सहित मांस; प्रायोगिक, अप्रायोगिक किसी तरह का भी जानवर	भेड़, मेड़ा	प्रति किग्रा	
20.	हड्डी सहित मांस; प्रायोगिक, अप्रायोगिक किसी तरह का भी जानवर	बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
21.	बिना हड्डी मांस	भेड़, मेड़ा, बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
				P.T.O. 1 1 1 1 1 .



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

भेड़, मेडा	प्रति किग्रा	
बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	
भेड़, मेडा, बकरा, बकरी	प्रति किग्रा	

\* सीमित निविदा—प्रपत्र/कोटेष्यन में अधिकतम दरदाता का निर्धारण कम संख्या 1 एवं 2 में दी गई दरों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । उपर्युक्त प्रक्रिया में अधिकतम दरदाता को अन्य सामान के लिए अन्य निविदाता/ठेकेदार द्वारा दी गई अधिकतम दर को मान्य करना होगा । जिसके लिए अधिकतम दरदाता को बुलाकर आपसी बातचीत (नेगोशियेसन) किया जायेगा ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सीमित निविदा—प्रपत्र/कोटेष्यनमें दर्शायी गई सभी नियम व धार्ते भली—भांति पढ़ली है तथा मुझे यह नियम व धार्ते पूर्णरूप से यह स्वीकार है । साथ ही मैं यह भी वचन देता हूं कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपर्युक्त निविदा—प्रपत्र/किटकण में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है ।

मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी प्रकार के श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों / मानवानुकूलियों की मजदूरी का भूगतान समय—2 पर निर्धारित दैनिक मजदूरी दर से करूंगा । यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली—भांति से ज्ञात है कि आपके द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप उच्चतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें पूर्णरूप ये मान्य हैं । कार्य अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जाब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और ना ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता  
निविदादाता का नाम  
पिता का नाम  
पूरा पता  
पिनकोड नं०  
मोबाइल नं०  
फेनकार्डन०  
फेनकार्डकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें